अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2013

फा0 सं0 पी0 15014/1/2011-पीएफए/एफएसएसएआई.- खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप विनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 6 दिसंबर, 2012 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) की अधिसूचना सं0 पी0 15014/1/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 29 नवबंर, 2012 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति तक जनता से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 6 दिसंबर, 2012 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 में, -

(क) विनियम 2.2 में, 'पूर्व-पैक किए गए खाद्यों पर लेबल लगाना' से संबंधित उप विनियम 2.2.2 के खंड 3 के उपखंड (v) में, परंतुक से पहले मद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

" (iv) हाइड्रोजनित वनस्पति तेल सहित, खाद्य वनस्पति तेल, वसा और घोषित शेल्फ लाइफ सहित प्रसंस्कृत और पैक किए गए खाद्यों के लेबल पर निम्नलिखित घोषणा होगी :

(i) कुल पार वसा अंतर्वस्तु, भार के अनुसार..... प्रतिशत से अनधिक

(ii) कुल संतृप्त वसा अंतर्वस्तु , भार के अनुसार...... प्रतिशत से अनधिक";

(ख) विनियम 2.4 में 'खाद्य तेल और वसा पर लेबल लगाना' से संबंधित उप-विनियम 2.4.2 के खंड 4 में, उप-खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

" (ग) अंतर्वस्तु पार वसा युक्त अम्ल, भार के अनुसार...... प्रतिशत से अनधिक, और

संतृप्त वसा युक्त अम्ल, भार के अनुसार प्रतिशत.... से अनधिक" ।

के. चन्द्रमौली, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असाधारण/187/13]

पाद टिप्पण :—खाद्य सुरक्षा मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 1 अगस्त, 2011 में अधिसूचना फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।